


राजस्थान सरकार
शिक्षा (युप-6) विभाग



क्रमांक: पं.1(31)शिक्षा-6/09

जयपुर, दिनांक:-

कुलसचिव,
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राज0 संस्कृत विश्वविद्यालय,
ग्राम - मदाऊ, पोस्ट- भांकरोटा, जयपुर ।

A.D. (Acad.)


विषय:- शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम हेतु सत्र 2012-13 के लिए संस्थाओं
का नवीनीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निदेशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रम संचालन हेतु शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को निर्धारित सीटों की प्रदत्त मान्यता के अनुसरण में सत्र 2012-13 के लिए संलग्न सूची में अंकित 68 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में उल्लेखित सीटों की सीमा तक केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने हेतु निम्न शर्ताधीन नवीनीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है :-

1. समस्त प्रवेश केन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत राज0 संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पीएसएसटी परीक्षा में सम्मिलित छात्रों में से मैरिट के आधार पर प्रवेश किये जायेंगे।
2. महाविद्यालयों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि छात्रों से नहीं ली जायेगी। यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा एनसीटीई एवं राज्य सरकार के सभी निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करना आवश्यक होगा। यदि किसी संस्था द्वारा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मानदण्डों की पालना नहीं की गई, तो ऐसी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
4. महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।
5. समस्त संस्थाओं को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राज0 संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करनी होगी।

भवदीय,


उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय संस्कृत शिक्षामंत्री/मा0 संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
3. समन्वयक, पीएसएसटी, राज0 संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, एनआरसी, ए-36, शांतिपथ तिलक नगर, जयपुर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राज0, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति प्रेषित कर लेख है कि संबंधित आदेश विभाग की वेबसाइट डाउनलोड करवाने का श्रम करें ताकि संस्थाओं द्वारा प्रति प्राप्त की जा सकें।
6. रक्षित पत्रावली।


सहायक शासन सचिव

